राजस्थान सरकार
जिला सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, जैसलमेर

फोन/फेक्स : 02992–252377 ई–मेल : pro252377@gmail.com Web Site :www.dipr.rajasthan.gov.in

प्रेसनोट
09.01. 2019

जैसलमेर शहर में गडीसर चौराहे से गोपा चौक तक रहेगा वन–वे – जिला कलक्टर

जैसलमेर, 09 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता में शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर मंगलवार को बैठक आयोजित हुई, जिसमें यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए विविध पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में आयुक्त नगरपरिषद पवन कुमार, उप अधीक्षक पुलिस गोपाल शर्मा, तहसीलदार वीरेन्द्र सिंह, ट्राफिक पुलिस प्रभारी कपूराराम चौधरी उपस्थित थें।

जिला कलक्टर मेहता ने आयुक्त एवं यातायात पुलिस प्रभारी को निर्देश दिए कि वे शहर के गडीसर चौराहा से लेकर बाजार होते हुए गोपा चौक तक प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक वन–वे रखेगें, जिसमें किसी प्रकार के वाहन टू–व्हीलर, थ्री व्हीलर, चार पहिया वाहनो को उपर से नीचे की आने की अनुमति रहेगी। उन्होंने यह कहा कि वे इसके संबंध में रविवार तक लोगों को अच्छी तरह से बता दें कि वे वन–वे का पूर्ण रूप से पालन करें एवं सोमवार के बाद सख्ती के साथ वन–वे ट्राफिक व्यवस्था को लागू कर दें। उन्होंने बताया कि वन–वे ट्राफिक व्यवस्था के लिए उनके भ्रमण के दौरान दुकानदारों ने पूरजोर से मांग की थी इसको ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को लागू कर दिया जायेगा।

उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे सोनार दुर्ग के अन्दर की तरफ प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक वाहनों का प्रतिबंध रखेगें इसमें अति आवश्यक होने पर ही थ्री व्हीलर या चार पहिया वाहन को उपर जाने की अनुमति रहेगी। इस प्रकार सोनार दुर्ग के अन्दर वाहनों का प्रवेश निषेध रखा जाये। उन्होंने दुर्ग के वासिंदों को भी वाहन निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही रखने की आवश्यकता जताई।

उन्होंने आयुक्त को यह भी निर्देश दिए कि वे शहर के दुकानदारों को पूर्ण समझाईश कर दें कि वे दुकान के आगे किसी प्रकार का न तो अतिक्रमण करें एवं न ही अपना सामान रखें। उन्होंने कहा कि इस समझाईश के बाद भी यदि कोई दुकानदार इन नियमों का उल्लघंन करता है तो उनके सामान को अभियान चलाकर जब्ती की कार्यवाही की जावें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे इस प्रक्रिया की पालना के संबंध में नगरपरिषद के कार्मिक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से सांय 4 तक यातायात पुलिस की पूरी मदद करें।

यातयात पुलिस प्रभारी ने इसके साथ ही शहर की यातायात व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने के लिए अपनी और से सुझाव आयुक्त नगरपरिषद को प्रदान किए। इस संबंध में भी जिला कलक्टर ने आयुक्त को निर्देश दिए कि वे इन सुझावों पर अमल करने की कार्यवाही करें।

–––––000–––––

जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर भूतपूर्व सैनिकों की रैली 14 जनवरी को

जैसलमेर, 09 जनवरी। मेजर सौरभ उपाध्याय प्रभारी भूतपूर्व सैनिक रैली ने बताया कि जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर भूतपूर्व सैनिकों की रैली का आयोजन 14 जनवरी,सोमवार को किया जा रहा है। इस संबंध में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल भोजराजसिंह राठौड ने जिले के सभी भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों को सूचित किया हैं कि वे 14 जनवरी को प्रातः 11 बजे जैसलमेर मिलिट्री स्टेशन पर आयोजित होने वाली पूर्व सैनिकों की रैली में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होवें। उन्होंने बताया कि इस रैली में पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों की समस्याओं का समाधान किया जायेगा। वहीं सेना संबंधी रिकॉर्ड, सीडीए इलाहाबाद, बैंक इत्यादि का निवारण भी किया जायेगा।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने सभी पूर्व सैनिकों, विधवाओं एवं उनके आश्रितों से यह भी आह्वान किया कि वे अपने साथ आवश्यक दस्तावेज भी लेकर आवें। उन्होंने बताया कि इस रैली में उच्च सैन्य अधिकारियों के साथ ही सिविल के अधिकारी भी उपस्थित रहेगें ताकि पूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान मौके पर ही होगा।

–––––000–––––

सम में पैरासैलिंग होगा बंद

जैसलमेर, 09 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता के निर्देशों की पालना में तहसीलदार जैसलमेर वीरेन्द्र सिंह भाटी एवं थानाधिकारी सम करणीसिंह ने सम में संचालित पैरासैलिंग करने वाले धारको को चेतावनी दी है कि वे बिना अधिकृत लाईसेंस के पर्यटकों को पैरासैलिंग नही करा सकेगें।

तहसीलदार भाटी ने पैरासैलिंग करवाने वालों को सख्त हिदायत दी है कि वे तत्काल ही पैरासैलिंग के लिए संबंधित विभाग से लाईसेंस प्राप्त कर ही पैरासैलिंग करवा सकेगें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि कल से कोई भी पैरासैलिंग करते हुए पाया गया तो उनके बैलून के साथ ही वाहन भी जब्त कर लिए जायेगें।

———000———

माह फरवरी में 2094.385 मैट्रिक टन गेहूं का उप आवंटन

जैसलमेर, 09 जनवरी। जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अत्योदय परिवारों के लिए माह फरवरी के लिए 2094.385 मैट्रिक टन गेहूं का उप आवंटन प्राप्त हुआ है। जिला रसद अधिकारी जैसलमेर ने बताया कि जैसलमेर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लिमिटेड जैसलमेर को 1109.270 मैट्रिक टन गेहूं तथा पोकरण क्रय विक्रय सहकारी समिति पोकरण को 985.115 मैट्रिक टन का उप आवंटन किया गया है।

———000———

जिला स्तरीय अधिकारी बिना अनुमति के मुख्यालय परित्याग नहीं करेगें

जैसलमेर, 09 जनवरी। जिला कलक्टर नमित मेहता ने एक आदेश जारी कर सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे उनकी बिना अनुमति के मुख्यालय का परित्याग नहीं करेगें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि वे जरूरी हो तो उनकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त हीं मुख्यालय परित्याग करेगें।

जिला कलक्टर ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपना मोबाईल कभी भी बंद नहीं रखेगें, यदि किसी तकनीकी कमी के कारण मोबाईल बंद है तो वह अधिकारी उनके पास उपलब्ध मोबाईल/दूरभाष की सूचना 02992–252201 पर प्रदान करेगें ताकि उनसे सुगमता के साथ सम्पर्क किया जा सकें। आदेश के अनुसार जिला कलक्टर कार्यालय के दूरभाष नम्बर 02992–252201 सभी अधिकारी अपने मोबाईल में सेव करके रखेगें तथा इस संबंध में अपने अधीनस्थ को भी निर्देशित करेगें। आदेश के अनुसार अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी/अभियंता को भी इस आदेश से पाबंद करेगें। इन निर्देशों की पालना पूर्णतया सुनिश्चित की जाये। साथ ही अवहेलना पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

———000———

ग्रामपंचायत नोख की जगह मोकला में होगी रात्रि चौपाल शक्रवार को
जिला कलक्टर मेहता सुनेगें ग्रामीणों की परिवेदनाएं

जैसलमेर, 03 जनवरी। जिले की ग्रामपंचायत मोकला में रात्रि चौपाल का आयोजन 11 जनवरी, शुक्रवार को रखा गया है। जिला कलक्टर नमित मेहता रात्रि चौपाल में ग्रामीणों की समस्याएं सुनेगें एवं उनके समाधान की कार्यवाही भी करवायेगें। पूर्व में यह रात्रि चौपाल ग्राम पंचायत नोख में रखी गई थी लेकिन अपरिहार्य कारणों से अब ग्राम पंचायत मोकला में रात्रि चौपाल रखी गई है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर वीरेन्द्र कुमार वर्मा ने ग्राप पंचायत मोकला क्षेत्र के समस्त ग्रामीणजनों से विशेष आग्रह किया कि वे रात्रि चौपाल में अधिकाधिक संख्या में पहुंचकर अपनी समस्याओं को रखें ताकि मौके पर ही जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा उसका निराकरण किया जा सकें। उन्होंनें जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे रात्रि चौपाल में अनिवार्य रूप से सांय 6:30 बजे आवश्यक रूप से उपस्थित होवें। उन्होंने संबंधित उपखण्ड अधिकारी एवं विकास अधिकारी को निर्देश दिए कि वे रात्रि चौपाल का संबंधित ग्राम पंचायत क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार करेगें ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण इसका लाभ उठा सकें।

———000———